वित्तीय स्वीकृति

संख्या-30/750/52-3-14-बजट(15)/2014

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा- -3, □□□□: दिनांक मई, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हु है कि वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप : 0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14-3-2014 के प्रस्त -2(1) □ 2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय व 2014-15 के आय व्यय अ अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छ /छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के वितरण हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधान हेतु प्रस्तावित धनराशि 0 75,00,00,000/- के सापेक्ष 04 □□ □□ लेखानुदान के रूप में पारित धनराशि रू0 25,00,00,000/- (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हे□□

http://shasanadesh.up.nic.in

आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष /छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण त उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालय /मदरसों के विरूद्ध शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमे शुल्कप्रतिपूर्ति की ध□□□□ की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये ३ विद्यालयों/मदरसों के छाः /छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में □ □□ □□□ इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं □□ □, जिन मामलों में ३0प्र0 बजट मैनुअल और वित्त नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□

5- शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-□□□ □□ निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया ज□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक /छात्राओं की शुल्कप्रतिपूर्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय व 2014-15 □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□ व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान सं -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष -2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्य -03- अल्पसंख्यकों का कल्य -0305-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छा /छात्राओ □□ □□□□□ □□□/जनजाति के विद्यार्थियों के समान विश्वविद्यालय/संस्थाओं में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति -21-छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-748(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in